

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 423 / 15

संस्थापन दिनांक:-30 / 07 / 15

फाईलिंग नं. 233504001492015

मध्यप्रदेश राज्य

द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,

जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

रवि उर्फ अविनाश पिता प्रहलाद सोनकुमरे,

उम्र 22 वर्ष, निवासी बस स्टेंड आमला,

थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.03.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 304 (ए)(दो काउंट में) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 07.05.2015 को समय करीब 04:00 बजे ससाबड़ अंधारिया के बीच रोड पर पुलिया के पास थाना आमला जिला बैतूल में लोकमार्ग पर बस क्रमांक केएल-03-के-7498 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर आहत सचिन को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा खुश्याल को टक्कर मार दी जिससे खुश्याल एवं पप्पू उर्फ जितेंद्र की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.05.2015 को फरियादी धनराज झरिये की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में मर्ग क्र. 35, 36 / 15 इस आशय का दर्ज किया गया कि दिनांक 07.05.2015 को शाम करीब 4 बजे वह अपने भाई मेघराज के घर शादी में गया था। तभी उसे खबर मिली कि ससाबड़ से अंधारिया के बीच नदी की पुलिया के पास कोष्ठी बस के चालक द्वारा एक्सीडेंट कर दिया है जिससे खुश्याल, पप्पू उर्फ जितेंद्र एवं सचिन तीनों को अत्यधिक चोट लगी है और बेहोश अवस्था पर पड़े हैं। जिस पर वह उन्हें अस्पताल लेकर आये। रास्ते में पप्पू उर्फ जितेंद्र एवं खुश्याल की मृत्यु हो गयी। कोष्ठी बस के चालक रवि द्वारा बस क्रमांक केएल-03-के-7498 को तेज व लापरवाही से चलाकर एक्सीडेंट किया गया जिससे खुश्याल एवं जितेंद्र की मौत हो गयी और सचिन घायल हो गया।

3 फरियादी द्वारा दर्ज कराये गये मर्ग इंटीमेशन की जांच उपरांत बस क. केएल-03-के-7498 के चालक रवि कोष्ठी के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 250/15 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आहत का चिकित्सकीय परीक्षण एवं मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया। घटना स्थल से बस क. केएल-03-के-7498 एवं अभियुक्त से ड्रायविंग लायसेंस, वाहन का अस्थायी अनुज्ञा पत्र, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, इश्योसेंस जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर बस क्रमांक केएल-03-के-7498 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर आहत सचिन को स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर खुश्याल को टक्कर मार दी जिससे खुश्याल एवं पप्पू उर्फ जितेंद्र की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

6 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7 सचिन (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह,

खुश्याल और जितेंद्र अंधारिया से आमला की ओर मोटर सायकिल से आ रहे थे। तभी घटना स्थल पर सामने की तरफ से आ रहे अभियुक्त रवि ने बस से उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी थी। खुश्याल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी और जितेंद्र की रास्ते में मृत्यु हो गयी थी तथा दुर्घटना से उसे सिर, दांये हाथ, दांये पैर में चोट आयी थी। धनराज (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को खुश्याल, पप्पू और सचिन मोटर सायकिल से जा रहे थे, तभी अभियुक्त रवि ने बस क. केएल-03-के-7498 से उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी जिससे खुश्याल और पप्पू की मौत हो गयी थी और सचिन घायल हो गया था। योगेश (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि वह घटना दिनांक को आमला की ओर आ रहा था। जब वह आमला आ गया तो उसे घटना के बारे में पता चला। फिर वह अस्पताल गया जहां खुश्याल और उसके साथ में जो लड़के थे वह मर गये थे। मधु राठौर (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि घटना के समय वह मोटर सायकिल से खंडारा की तरफ जा रहा था। मौके पर उसने देखा कि तीन लड़के रोड पर घायल अवस्था पर पड़े हैं। लक्ष्मीबाई (अ.सा.-7) ने यह बताया है कि वह घटना दिनांक को बस से अंधारिया जा रही थी। जिस बस में बैठी थी उस बस ने सामने से आ रही मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था जिससे खुश्याल, पप्पू और सचिन को चोट आयी थी। मेघराज (अ.सा.-8) ने यह बताया है कि उसे यह जानकारी मिली थी कि खुश्याल, पप्पू और सचिन की मोटर सायकिल का कोष्ठी बस से एक्सीडेंट हो गया है, तब वह अस्पताल गया था जहां खुश्याल और पप्पू की मौत हो गयी थी और सचिन को चोट आयी थी। भैय्यालाल उर्फ नारायण (अ.सा.-9) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना के बारे में उसे जानकारी मिलने पर वह अस्पताल आमला आया था जहां पर खुश्याल और पप्पू की मौत हो गयी थी और सचिन को चोट आयी थी।

8 दिनेश सोनी (अ0सा0-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह सी0एच0सी आमला में कम्पाउंडर के पद पर पदस्थ। उसने डॉ0 रोहित के साथ कार्य किया है जिससे वह उनके हस्ताक्षरों से भली-भांति परिचित है। दिनांक 07.05.15 को डॉ. रोहित के द्वारा आहत सचिन का मेडिकल परीक्षण किया था। परीक्षण में आहत के सिर के दांयी तरफ सूजन, दांहिने कंधे पर दर्द और सूजन, दांहिनी जांघ और पैर पर दर्द और सूजन पायी थी। उक्त सभी चोटों के लिए आहत को एक्सरे की सलाह दी गयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 08.05.2015 को डॉ. रोहित ने मृतक खुश्याल के शव परीक्षण किया था जिसमें मृतक के दांहिने पैर, दांहिने जांघ पर फैंक्चर और कटे का निशान, सिर और मस्तक पर 3 गुणा 2 गुणा सेमी. 4 गुणा 3 गुणा 2, 2 गुणा 1 गुणा 1 गुणा आकार की चोट के निशान पाये थे। मृतक के घाव सुपरफिशियल थे जो कि मृत्यु के 12 से 24 घंटे की भीतर आए हैं तथा मृतक के सिर एवं चेहरे पर आए घाव घातक थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि

मृतक के मस्तिष्क पर घाव के निशान थे, दांयी तरफ की पसली में फैंक्चर था फेफड़ा कंजस्टेड था दाहिने फेफड़े से खून निकला था हृदय खाली पाया था। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उक्त दिनांक को ही डॉ० रोहित के द्वारा मृतक पप्पू उर्फ जितेन्द्र के शव परीक्षण किया गया था जिसमें मृतक के निचले जबड़े तथा दांत टूटे हुए एवं नासिका की हड्डी टूटी पाई गई थी, मृतक के दाहिने लिब पर फैंक्चर तथा मस्तिष्क की हड्डी टूटी और तीसरी और चौथी रिब में फैंक्चर था। साक्षी ने डॉ. रोहित के द्वारा आहत सचिन के संबंध में दी गयी चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श पी-12), मृतक खुशयाल एवं पप्पू उर्फ जितेन्द्र की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 एवं प्रदर्श पी-14 पर डॉक्टर रोहित के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षीगण सचिन (अ.सा.-1), धनराज (अ.सा.-2), योगेश (अ.सा.-3), मधु (अ.सा.-4), लक्ष्मीबाई (अ.सा.-7), मेघराज (अ.सा.-8) एवं भैय्यालाल (अ.सा.-9) के कथनों से दुर्घटना में मृतक खुशयाल एवं पप्पू की मौत होना तथा आहत सचिन को चोट आने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 ओ.पी. यादव (अ.सा.-5) ने दिनांक 07.05.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को प्रार्थी धनराज की रिपोर्ट पर मार्ग इंटीमेशन 35, 36/15 धारा-174 जा0फा0 फौजदारी (प्रदर्श पी-2) एवं अपराध कं०- 250/17 धारा- 304ए, 337, 279 भा.दं.सं. में (प्रदर्श पी-1) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन, मृतक खुशयाल एवं जितेन्द्र का शव पंचायतनामा प्रदर्श पी0-3 एवं प्रदर्श पी-4 है एवं घटना स्थल पर जाकर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-6) तथा घटना स्थल से बस कं०- के०एल० 03-7498 जप्त कर जप्त पत्रक (प्रदर्श पी-7), मृतक खुशयाल की मोटर सायकल एम०पी०-48 एमसी 7581 का नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श पी-8) तथा दिनांक 08.05.15 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-10) एवं अभियुक्त से ड्रायविंग लायसेंस, अस्थाई परमिट एवं रजिस्ट्रेशन, फिटनेश और बीमा जप्त कर (प्रदर्श पी-11) का जप्ती पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा आहत को छोड़कर किसी ने भी अभियुक्त के द्वारा वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जाना नहीं बताया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या दुर्घटना के समय अभियुक्त अविनाश उर्फ रवि ने कोष्ठ बस क. केएल-03-के-7498 को उपेक्षा एवं

उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की ?

12 धनराज (अ.सा.-2) जिसने घटना की सूचना थाने पर दी है। इस साक्षी ने यह बताया है कि उसे दुर्घटना की खबर मिली थी। खबर सुनकर वह मौके पर गया था। जब वह मौके पर गया था तब बस खड़ी हुई थी और मौके पर उपस्थित लोगों ने यह बताया था कि बस रवि उर्फ अविनाश चला रहा था जो कि मौके से भाग गया था। उसने थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट भी उसके द्वारा की गयी थी। खुश्याल और पप्पू की लाश का नक्शा पंचायतनामा उसके समक्ष तैयार किया गया था। पुलिस ने उसके समक्ष बस क्र. केए-03-के-7498 के टूटे हुए कांच जप्त किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने घटना नहीं देखी थी। उसे यह पता चला था कि एक्सीडेंट हो गया है। घायल और मृतक से उसकी कोई बात नहीं हुई थी।

13 योगेश (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि वह घटना के समय आमला आ रहा था। ससाबड़ अंधारिया के बीच पुलिया के पास बस रोड पर खड़ी थी लेकिन वह सीधे आमला आ गया था और फिर आमला अस्पताल गया था। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अपने समक्ष कोष्ठी बस का क्षतिग्रस्त हालत में जप्त किया जाना एवं नुकसानी पंचनामा तैयार किये जाने से इनकार किया है एवं प्रतिपरीक्षण में घटना की कोई जानकारी न होना और एक्सीडेंट किस वजह से हुआ इसकी जानकारी न होना बताया है।

14 मधु राठौर (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह घटना के समय अंधारिया से आ रहा था। अंधारिया और ससाबड़ के बीच रोड पर भीड़ लगी हुई थी। दो लड़के रोड पर पड़े और एक लड़का कुछ दूरी पर पड़ा हुआ था। आहतगण को उठाकर गाड़ी से आमला अस्पताल लेकर आया था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसने घटना घटित होते नहीं देखा था। इस साक्षी से भी अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बस के चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से मोटर सायकिल को टक्कर मारे जाने से इनकार किया है। प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने घटना घटित होते नहीं देखी थी। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किस वाहन से और किसकी गलती से दुर्घटना हुई थी।

15 मेघराज (अ.सा.-8) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे रात में यह पता चला था कि ससाबड़ अंधारिया के बीच कोष्ठी बस से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट करने वाली बस को अभियुक्त रवि उर्फ अविनाश चला रहा था। कैसे चला रहा था यह किसी ने नहीं बताया था। इस साक्षी से भी अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे

जाने पर साक्षी ने बस क्र. केएल-03-के-7498 के चालक द्वारा बस को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोटर सायकिल को टक्कर मार दिये जाने की बात को गलत बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर था। घटना के समय वाहन किस गति से चल रहा था, कौन चला रहा था इस बात की उसे जानकारी नहीं है।

16 भैय्यालाल उर्फ नारायण (अ.सा.-9) ने यह बताया है कि सचिन, खुश्याल और पप्पू मोटर सायकिल से आमला की ओर आ रहे थे। रास्ते में तीनों का बस से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट करने वाली बस को रवि चला रहा था। कैसे चला रहा था यह उसे नहीं मालूम। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह सही होना बताया है कि बस क्र. केएल-03-के-7498 के चालक रवि ने बस को तेजी और लापरवाही से चलाकर मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि घटना घटित होते उसने नहीं देखी थी। घटना के समय वाहन किस गति से चल रहा था, कौन चला रहा था इसकी उसे जानकारी नहीं है। घटना की जानकारी उसे लोगों के बताये अनुसार है। घटना के समय वह मौके पर उपस्थित नहीं था। साक्षी ने यह बताया है कि उसने वाहन का नंबर लिखकर पुलिस को नोट करवाया था। इस सुझाव को सही बताया है कि जब गाड़ी का नंबर नोट करके लाया था तब वाहन खाली खड़ा था।

17 प्रकरण में साक्षी धनराज (अ.सा.-2), योगेश (अ.सा.-3), मधु (अ.सा.-4), मेघराज (अ.सा.-8), भैय्यालाल उर्फ नारायण (अ.सा.-9) अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में स्वयं के द्वारा घटना घटित होते देखे जाने से इनकार किया है। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को वाहन क्र. केएल-03-के-7498 को तेजी एवं लापरवाही से चलाये जाने के संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। साथ ही उपर्युक्त साक्षीगण के अपने कथनों पर स्थिर न रहने के कारण उन पर विश्वास किया जाना सुरक्षित प्रतीत नहीं होता है।

18 अभिलेख पर आहत सचिन (अ.सा.-1) एवं चक्षुदर्शी साक्षी लक्ष्मीबाई (अ.सा.-7) की साक्ष्य उपलब्ध है। अतः प्रकरण में उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि इन साक्षियों के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं ?

19 सचिन (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय खुश्याल एवं जितेंद्र के साथ मोटर सायकिल से आमला की ओर जा रहा था। मोटर सायकिल खुश्याल चला रहा था। ससाबड़ अंधारिया के बीच में सामने से अभियुक्त रवि बस को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर लाया।

सामने से तेजी से बस आती देख मोटर सायकिल नीचे उतारी परंतु इसके बाद भी अभियुक्त ने उन लोगों के उपर बस चला दी। बस मृतक खुश्याल और पप्पू के उपर से पूरी तरह से निकल गयी थी और वह घायल हो गया था। अभियुक्त ने बस खड़ी करके मौके से भाग गया था। उसने अभियुक्त को बस चलाते और बस से उतरकर भागते हुए देखा था।

20 लक्ष्मीबाई (अ.सा.-7) ने बताया है कि जिस बस से एक्सीडेंट हुआ था, घटना के समय वह उस बस में बैठकर आमला से अंधारिया की ओर जा रही थी। जिस बस में वह बैठी थी वह तेजी और लापरवाही से चल रही थी। बस वाले ने सामने से आ रहे मोटर सायकिल वालो को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने पर जब उसने नीचे उतरकर देखा तो खुश्याल, पप्पू और सचिन रोड पर पड़े हुए थे उसने अपने बेटे को फोन लगाया।

21 सचिन (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने गाड़ी को नीचे उतार लिया था। रोड पर बस से सीधी टक्कर नहीं हुई थी। स्वतः में बताया है कि जब गाड़ी नीचे उतर गयी तब बस ने सामने से टक्कर मारी थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि सामने से तेजी और लापरवाही से आती बस को देखकर मोटर सायकिल रोड से नीचे खड़ी कर दी थी। तभी अभियुक्त ने उन सभी लोगों के उपर बस चढ़ा दी थी। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि वह मौके पर बेहोश हो गया था। स्वतः कहा वह पूरे होश में था। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि रोड के साईड में गाड़ी खड़ी कर देने पर जब आपको दूर से बस आती हुई दिख रही थी तब आप मौके से क्यों नहीं हटे थे तब साक्षी ने उत्तर में यह बताया कि उसे नहीं मालूम था कि रोड से नीचे उतारने के बाद भी बस टक्कर मार देगी। इस सुझाव को सही बताया है कि रोड के बीच पर बस की मोटर सायकिल से कोई टक्कर नहीं हुई थी। स्वतः कहा रोड के साईड में मोटर सायकिल खड़ी थी वहां टक्कर हुई थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि घटना स्थल घुमावदार जगह है। पुनः से प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 12 में साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आप मोटर सायकिल से जा रहे थे, सामने से बस आ रही थी तो आपने बस को तेजी से चलाते देखा या अंदाज से बस को तेजी से चलाना बताया है, तब साक्षी ने उत्तर में यह बताया है कि उसने मौके पर प्रत्यक्ष रूप से यह देखा था कि बस सामने से तेजी से चली आ रही थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि बस चालक ने कोई दुर्घटना नहीं की थी। साक्षी ने यह बताया है कि उसने रोड के बीचोबीच टक्कर होना पुलिस को नहीं बताया था। स्वतः में कहा कि साईड में टक्कर होने की बात पुलिस को बतायी थी।

22 साक्षी लक्ष्मीबाई (अ.सा.-7) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि मोटर सायकिल चालक को बस से टकराते हुए उसने देखा था। इस सुझाव को

गलत बताया है कि टकराने के बाद मोटर सायकिल रोड के साईड में नीचे गिर गयी थी। स्वतः कहा कि बस में ही नीचे फंस गयी थी। बचाव अधिवक्ता द्वारा साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उसने मोटर सायकिल और बस की टक्कर देखी थी या नहीं तो साक्षी मौन रहती है और इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती है। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना दिनांक के दो दिन पहले वह ग्राम अंधारिया गयी थी। स्वतः कहा घटना दिनांक को ही गयी थी। बस से टकराने वाली बाईक में तीन लोग सवार थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि उसे किसी ने यह नहीं बताया था कि बस चालक तेजी से वाहन चला रहा था। ड्रायवर को उसने गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहा था। घटना होने के पहले ड्रायवर को बोला था लेकिन इसके बाद भी उसने गाड़ी नहीं रोकी थी। इस सुझाव को गलत बताया है कि बस चालक ने घुमाव पर बस धीरे कर दी थी। स्वतः कहा कि वहां पर घुमाव नहीं था।

23 प्रकरण में साक्षी सचिन (अ.सा.-1) जो कि घटना का आहत होकर चक्षुदर्शी साक्षी है। साक्षी ने अभियुक्त रवि उर्फ अविनाश के द्वारा घटना दिनांक को बस को चलाया जाना बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक 07.05.2015 को ही लेख की गयी है, जिसके अवलोकन से कोष्ठी बस के चालक रवि के द्वारा उपेक्षा एवं उतावलेपन से बस चलाया जाना लेख है। प्रकरण में साक्षी सचिन अभियुक्त द्वारा वाहन बस को चलाये जाने के कथन पर पूर्णतः अखंडित रहा है। यद्यपि साक्षी ने बस की मोटर सायकिल से रोड के बीचोबीच टक्कर न होना बताते हुए रोड के साईड में उनकी मोटर सायकिल में टक्कर लगना बताया है परंतु साक्षी बस के द्वारा मोटर सायकिल को टक्कर मारे जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित है इसलिए साक्षी का अभियोजन कथा से मात्र यह विरोधाभास कि बस से मोटर सायकिल में टक्कर रोड के बीचोबीच न होकर रोड के साईड में हुई थी, तात्विक न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साक्षी लक्ष्मीबाई एवं सचिन दोनों ने ही मौके पर घुमावदार रास्ता न होना बताया है एवं नक्शा मौका (प्रदर्श पी-6) के अवलोकन से भी घटना स्थल पर कोई भी घुमावदार रास्ता होना प्रकट नहीं हो रहा है। यद्यपि साक्षी लक्ष्मीबाई (अ.सा.-7) ने बचाव अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि उसने मोटर सायकिल और बस की टक्कर देखी थी या नहीं, साक्षी प्रश्न का उत्तर न देकर मौन रहती है। यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि साक्षी ने प्रत्यक्ष रूप से मोटर सायकिल और बस की टक्कर नहीं देखी थी तब भी साक्षी ने अपने कथने में यह बताया है कि जिस बस से घटना हुई थी उस बस में वह बैठी हुई थी। वाहन बस को चालक बहुत तेजी से चला रहा था। घटना के तत्काल पश्चात नीचे उतरकर उसने आहत एवं मृतक को घायल अवस्था में देखा था और अपने इस कथन पर साक्षी पूर्णतः अखंडित रही है। ऐसी परिस्थिति में मात्र एक प्रश्न का उत्तर न दिये जाने से उसकी संपूर्ण साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

24 **बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि** तेजी से वाहन को चलाया जाना उपेक्षा या उतावलेपन का सूचक नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क उचित है कि वाहन का तेज रफ्तार से चलाया जाना मात्र उपेक्षापूर्वक अथवा लापरवाही पूर्वक कृत्य नहीं है। अभियुक्त का कृत्य उपेक्षापूर्वक था अथवा नहीं इस प्रश्न की कसौटी यह है कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के क्या कर्तव्य थे तथा उनके पालन में उसने उपेक्षा अथवा लापरवाही बरती अथवा नहीं ?

25 उपेक्षापूर्ण आचरण के संबंध में न्याय दृष्टांत **Naresh Giri Vs State of M.P., (2008) 1 SCC791** अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपेक्षापूर्वक आचरण को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है :-

"Negligence in given circumstances is the failure to exercise that care which the circumstances demand. What amounts to negligence depends on facts of each particular case. It may consist in omitting to do something which ought to be done or in doing something which ought to be done either in a different manner or not at all. Where there is no duty to exercise care, negligence in the popular sense has no legal consequence. Where there is duty to exercise care, reasonable care must be taken to avoid acts or omissions which can be reasonably foreseen to be likely to cause physical injury to the persons or property. The degree of care required in particular case depends on the surrounding circumstances, and very according to the amount of risk to be encountered and to the magnitude of the prospective injury."

26 प्रकरण में साक्षी सचिन (अ.सा.-1) एवं साक्षी लक्ष्मी (अ.सा.-7) ने अभियुक्त के द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से वाहन बस को चलाया जाना बताया है। साक्षी सचिन आहत है एवं साक्षी लक्ष्मीबाई की मौके पर उपस्थिति साक्ष्य विवेचन से स्थापित हुई है। उपर्युक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियुक्त रवि के द्वारा घटना के समय कोष्ठी बस को चलाया जाना बताया है और अपने इस कथन पर साक्षीगण पूर्णतः अखंडित रहे हैं जिससे यह स्थापित है कि घटना के समय अभियुक्त ही वाहन को चला रहा था। साथ ही बचाव अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में कोई चुनौती भी साक्षीगण को नहीं दी गयी। बस की मोटर सायकिल से सामने से टक्कर होना भी स्थापित है। यद्यपि बचाव अधिवक्ता ने यह तर्क लिया है कि रास्ता घुमावदार था परंतु साक्षी सचिन एवं लक्ष्मीबाई ने इससे इनकार किया है। साथ ही नक्शा मौका से भी रास्ते का घुमावदार होना दर्शित नहीं हो रहा है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी बचाव नहीं लिया गया कि आहतगण ही गलत दिशा से चले आ रहे थे। साथ ही ऐसी भी कोई परिस्थितियां नहीं थी कि अभियुक्त के वाहन के आगे पीछे कोई वाहन हो या वाहन में कोई यांत्रिकीय खराबी हो। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त के द्वारा सामने से सही दिशा से चले आ रहे आहतगण की मोटर सायकिल में सीधी टक्कर मारा जाना यह प्रकट करता है कि अभियुक्त ने घटना के समय वाहन

को चलाते समय उतनी सावधानी नहीं बरती, जितनी की उसे बरतनी चाहिए थी। ना ही अपने वाहन पर नियंत्रण रख पाया, जो कि चालक के नाते उसके कर्तव्यों के प्रति बरती गई उपेक्षा को प्रकट करता है।

27 मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में जहां यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ही घटना दिनांक को वाहन क्र. केएल-03-के-7498 को चला रहा था तथा वाहन से मोटर सायकिल को टक्कर मार दी थी जिससे उस पर बैठे आहत सचिन को उपहति कारित हुई तथा आहत खुश्याल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा आहत पप्पू उर्फ जितेंद्र की ईलाज हेतु ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गयी, ऐसी स्थिति में सिवाय इसके कि अभियुक्त उपेक्षा एवं अत्यन्त तेज रफ्तार से वाहन बस को चलाकर मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था जिससे आहतगण को चोटें आयी और आहत खुश्याल तथा जितेंद्र की मृत्यु हो गयी थी, अन्य कुछ भी उपधारणा नहीं की जा सकती। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **Mohammad Aynaddin Vs. State of A.P. 2001(1) MPWN 66(SC)** अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

28 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर बस क्रमांक केएल-03-के-7498 को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर आहत सचिन को स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा खुश्याल को टक्कर मार दी जिससे खुश्याल एवं पप्पू उर्फ जितेंद्र की मृत्यु कारित हुई जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। फलतः अभियुक्त रवि उर्फ अविनाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 304-ए(दो काउंट में) भा0दं0सं0 के आरोप में दोषी पाया जाता है।

29 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

30 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त ड्रायवर होकर उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त द्वारा वाहन बस को उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक की मोटर सयाकिल को टक्कर मारकर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप एक आहत को साधारण स्वरूप की उपहति एवं दो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

31 **उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया।** अभियुक्त द्वारा वाहन को उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया जाना एवं आहत सचिन को स्वेच्छया साधारण उपहति तथा खुश्याल एवं पप्पू उर्फ जितेंद्र की मृत्यु कारित होना, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती, का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

32 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 304-ए (दो काउंट में) भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। फलतः उभयपक्ष के तर्कों को विचार में रखते हुए एवं अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को विचार में रखते हुए तथा धारा 279 भा.दं.सं. का अपराध धारा 71 भा.दं.सं. के प्रावधानों के अर्थों में धारा 337 एवं धारा 304-ए के अपराध में समाहित है, इसे दृष्टिगत रख अभियुक्त को धारा 279 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडादिष्ट न करते हुए अभियुक्त रवि उर्फ अविनाश को भारतीय दंड संहिता की धारा 337, धारा 304-ए (दो काउंट में) के आरोप में निम्नानुसार दंड से दंडित किया जाता है :-

धारा	सश्रम कारावास	अर्थदंड	जुर्माना अदा न करने की दशा में सश्रम कारावास
337 भा.दं.सं.	तीन माह	200/- रुपये	07 दिवस
304-ए भा.दं.सं. (दो काउंट में)	दो वर्ष (प्रत्येक काउंट में)	500/- रुपये (प्रत्येक काउंट में)	15 दिवस

33 **मुख्य कारावास की उपर्युक्त सभी सजाएँ साथ-साथ**

भुगतायी जावे।

34 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

35 प्रकरण में जप्तशुदा बस क्रमांक केएल-03-के-7498 मय जप्तशुदा दस्तावेज के सुपुर्ददार निर्मला पति कृष्णा कुमार निवासी बेल मण्डई तहसील आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

36 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)